५

कार्यालय जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली

पत्रांक 2751 /अभिकरण, हाजीपुर दिनांक 31-12-013

प्रेषक,

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
वैशाली।

विषयः– **ग्रामीण विकास विभाग, पटना द्वारा जिला पदाधिकारी को प्राप्त शिकायत–पत्र मनरेगा योजना के तहत लूट–खसोट के संबंध में जांच प्रतिवेदन।**

प्रसंगः– **पत्रांक 1609211 ग्रामीण विकास विभाग, दिनांक 23.08.2013**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक परिवाद पत्र की जांच से संबंधित तथ्य एवं निष्कर्ष इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

शिकायतकर्त्ता का नाम एवं पताः–
श्री भुन्देव सिंह, उप मुखिया
ग्राम+पो0– चकसिंगार
ग्राम पंचायत –चकसिंगार बरारी
थाना– जुड़ावनपुर
प्रखण्ड– राघोपुर
जिला– वैशाली।

विश्वासभाजन

30/12/13

लोकपाल, मनरेगा,
वैशाली।

प्रतिलिपि – प्रभारी पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली हाजीपुर।

30/12/13

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, वैशाली
लोकपाल, मनरेगा
जिला– वैशाली

दिनांक	शिकायत–पत्र संख्या 24/13–14 के तथ्य एवं निष्कर्ष	अभ्युक्ति
30.12.13	यह शिकायत–पत्र श्री भुन्देव सिंह, उप मुखिया, ग्राम पंचायत –चकसिंगार बरारी, थाना– जुड़ावनपुर, प्रखण्ड– राघोपुर , जिला– वैशाली एवं अन्य के दिनांक 31.08.213 के आवदेन पत्र पर अंकित किया गया था। शिकायत–पत्र में लगाये गये आरोप निम्न प्रकार है। ग्राम पंचायत चकसिंगार बरारी की मनरेगा योजना के वर्ष 2013–14 में पुल के दक्षिण एवं उत्तर भाग में बने गाडवाल के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती गयी है। ट्रैक्टर एवं जे0सी0बी0 से मिट्टी का काम किया गया है। शिकायतकर्त्ता के आगे यह भी कहना है कि उक्त कार्य में बंगला भठठा से ईंट जोड़ाई किया गया है तथा ईट वाला मिट्टी का प्रयोग किया गया है। शिकायतकर्त्ता के शिकायत–पत्र के संबंध में कार्यक्रम पदाधिकारी –सह– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राघोपुर से शिकायत–पत्र में वर्णित बिन्दुओं का बिन्दुवार जांच कर पत्रांक 1525 दिनांक 31.08.2013 द्वारा जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। चूँकि योजना निर्माण कार्य से संबंधित थी। अतः कार्य की तकनीकी पक्ष को देखते हुए सहायक अभियंता, मनरेगा, मो0 जावेद अली से भी कार्य की जांच कर पत्रांक 1545 दिनांक 04.09.2013 द्वारा जाचं प्रतिवेदन की मांग की गयी। काफी प्रयास के बाद प्राप्त जांच प्रतिवेदन में कार्यक्रम पदाधिकारी–सह– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राघोपुर ने बताया कि प्रश्नगत शिकायतकर्त्ता द्वारा लगाये गये आरोप चकसिंगार-जुड़ावनपुर पथ में निर्मित पुल के सुरक्षावाल जो बरसात के पूर्व निर्मित हुआ था। इस वर्ष 28 जुलाई से 09 सितम्बर तक यह क्षेत्र बाढ की विभिषिका को झेलता रहा। इसके बाबजूद भी पुल में भौतिक रूप से किसी तरह की गड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ी है। उनके द्वारा शिकायतकर्त्ता के एक आवेदन भी प्रस्तुत किये गये जिसमें शिकायतकर्त्ता श्री सिंह द्वारा उक्त किये गये कार्य से संतुष्ट होते हुए शिकायत–पत्र को वापस लेने की बात बतायी गयी है। शिकायतकर्त्ता ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राघोपुर को संबोधित अपने पत्र में उक्त निर्माण कार्य से संतुष्ट होते हुए शिकायत को वापस लेने की मांग की है तथा राशि का भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। मेरे द्वारा सहायक अभियंता से भी योजना के संबंध में जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। पत्रांक 12 दिनांक 16.12.2013 द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसमें उनके द्वारा स्थल निरिक्षण करने के क्रम में स्थानीय ग्रामीणों ने इस गाडवाल को काफी जन उपयोगी बताया। उनलोगों के द्वारा यह भी बताया गया कि यह गाडवाल बन जाने से वर्षा एवं	

बाढ़ के दिनों में ग्रामीणों को काफी परेशानी होती थी। इस पथ पर गुजरने हेतु नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था। गाडवाल बन जाने से वर्षा एवं बाढ़ के दिनों में ग्रामीणों को काफी सुविधा हुई है। उन्होनें मनरेगा योजना के अन्तर्गत जो चार गाडवाल का निर्माण कार्य कराया गया है उसे कार्य स्थल पर निर्मित पाया। कार्य स्थल पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उक्त कार्य ग्रमीणों द्वारा किया गया है। उनके द्वारा एक जगह गढ़ा खोदकर देखने पर पाया गया कि वहाँ ईट वाला गिट्टी होने कि संभावना से कम है। निर्माण किये गये कार्य में बगले भठा के ईट प्रयोग के बारे में उन्होंने बताया कि इस विधि द्वारा पूर्व के वर्षो में ईट का निर्माण कराया जाता था। अब यह ईट नहीं चलता है।

उनके द्वारा यह भी बताया गया कि गाडवाला में कुछ जगहों पर पलास्टर एवं पनिंग के कार्य पूर्ण नहीं किये गये है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में लगभग 40–50 ग्रामीणों के हस्ताक्षर युक्त प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किये है जिसमें ग्रामीणों द्वारा बताया गया है कि उक्त सुरक्षा दीवाल के चल रहे निर्माण कार्य के समय हम सभी ग्रामीण लोग वहाँ उपस्थित रहते थे, एवं आते–जाते देखते थे। यहाँ पर मजदूरों द्वारा कार्य किया जाता था। हमलोगों ने इस योजना पर कभी भी मशीन से कार्य होते हुए नहीं देखा है। उनलोगों ने यह भी बताया है कि इस योजना में उपयोग किये गये सामग्री को भी कार्य स्थल पर देखा था। हमलोगों द्वारा यह प्रतीत किया गया कि सामग्री अच्छी है। हम सभी ग्रामीणों को इस कार्य से कोई शिकायत नहीं है। इसके बन जाने से हमलोग को आवागमन में काफी सुविधा हुई है।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि योजना पर अभी पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है तथा कुछ कार्यो का किया जाना शेष है। अतएव मुखिया एवं पंचायत रोजगार सेवक को निदेश दिया जा सकते है कि उक्त योजना में शेष कार्यो को कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के समक्ष ही पूर्ण देखरेख में कार्य करायी जाये। तत्पश्चात ही कार्य योजना की अंतिम भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाये। इसका अनुपालन कार्यक्रम पदाधिकारी, राघोपुर करायेंगे।

हस्ताक्षर

लोकपाल, मनरेगा

वैशाली।